फा. सं. 15(31)2020 /फॉसकॉस/वि.अनु./एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त प्राधिकरण)
(विनियामक अनुपालन प्रभाग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तृतीय तल, एफडीए भवन , कोटला रोड,
नई दिल्ली- 110002

दिनांक - 8 जून , 2021

आदेश

विषय- खाद्य कारोबारीयो द्वारा खाद्य उत्पाद की बिक्री पर रसीद /इनवॉयस /कैश मेमो/ बिल इत्यादि पर एफएसएआइ लाइसेंस/ पंजीकरण संख्या का उल्लेख अनिवार्य करने के संबंध में

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार कोई भी खाद्य कारोबार शुरू करने से पहले प्रत्येक खाद्य कारोबारी के पास एफएसएसएआई लाईसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य है । एफएसएस अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आए नियमों और विनियमो का कार्यान्यवन एफएसएसएआई लाइसेंस और पंजीकरण संख्या पर निर्भर करता है ।

2. खाद्य कारोबार एक वृहत पारिस्थितिकि तंत्र है तथा किसी भी खाद्य कारोबारी की एफएसएसएआई संख्या उपभोक्ता / सेवाग्रही ग्राहक को आसानी से उपलब्ध नहीं होती । कोई भी विश्वसनीय विनियामक संरचना एक मजबूत ग्राहक शिकायत प्रणाली पर निर्भर करती है जहाँ सेवादाता या ग्राहक शिकायत दुर करने की माँग कर सकते है । हालाँकि एफएसएसएआई संख्या उपलब्ध न होने पर किसी से पूर्ण निर्देशांको सहित शिकायत की आशा रखना एक कठिन कार्य है । यहां तक की नियामक के लिए भी शिकायत का पता लगाने और उस पर जल्द से जल्द कार्य करना मुश्किल हो जाता है । कोइ भी डाटाबेस जो कि खाद्य सुरक्षा की स्थिती मे उसका एफएसएसएआई नम्बर है बिना ‘लोकेटर कोड’ के तैयार नहीं किया जा सकता ।

3. वर्तमान में पैक किए गए खाद्य लेबलों पर एफएसएसएआई नम्बर का होना अनिवार्य है परन्तु कठिनाई विशेषकर रेस्तरां /मिठाई की दुकाने /केटरर/ खुदरा दुकाने , इत्यादि प्रतिष्टानों के मामले में आती है । एफएसएस (खाद्य कारोबारीयो का लाइसेसिंग और पंजीकरण)

विनियमो तथा रेस्तरां की स्थिती में मुख्य क्षेत्रों पर खाद्य सुरक्षा 'डिस्पले बोर्ड' का प्रदर्शन अनिवार्य किया जा रहा है ।

4. अब खाद्य प्राधिकरण की सहमति से सभी खाद्य कारोबारियों के लिए कैश रसीद / खरीदी रसीद /कैश मेमो/ बिल पर 14 अंक वाले एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का होना अनिवार्य कर दिया गया है । जब एक कारोबारी दो लेन - देन दस्तावेज जारी करता है जैसै परिवाहक द्वारा परिवहन चालान /बिल आदि या इनवॉयस जारी करने की स्थिती में दोनो दस्तावेजों पर एफएसएसएआई नम्बर का होना अनिवार्य है । इसका एकमात्र विकल्प जीएसटी ई-वे बिल या ऐसा कोई अन्य सरकारी दस्तावेज है जो सिस्टम द्वारा जारी किया गया हो ।

5. इससे उपभोक्ता एफएसएसएआई पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी विशेष खाद्य कारोबार के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे । उपभोक्ता एफएसएसएआई पोर्टल और 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' ऐप पर जाकर एफएसएसएआई लाइसेंस और पंजीकरण के बारे मे सूचना प्राप्त कर सकते है । इसके लिए उन्हें केवल अपना 14 अंको वाला एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीकरण संख्या देना पड़ेगा ।

6. किसी शिकायत की स्थिती में उपभोक्ता किसी विशेष खाद्य कारोबार के विरूद्ध एफएसएसएआई संख्या प्रयोग कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । विशिष्ट सूचना के अभाव में कई शिकायते अधूरी रह जाती है ।

7. एफएसएसएआई संख्या का उल्लेख एफएसएसएआई को और भी जागरूक बनाएगा । संख्या का उल्लेख न करने पर यह खाद्य कारोबारी द्वारा गैर अनुपालन या गैर पंजीकरण या लाइसेंसिग मानी जाएगी । इससे खाद्य कारोबारियों में एफएसएसएआई लाइसेंसिग पंजीकरण हेतु माँग और दबाव बनेगा ।

8. पहले से पैक किए गए खाद्य जहां पैक पर विनिर्माता की एफएसएसएआई संख्या लिखी हुई है , वहां भी पता लगाने वाले यंत्र का अभाव है जिसके तहत पैकैज के रास्ते विनिर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचा जा सकता है । यह इनवॉयस इस पथ को बनाने में मदद करता है । एफएसएसएआई संख्या का उल्लेख खाद्य उत्पादो का पता लगाने मे सुधार करेगा ।

9. किसी भी नए लेन-देन दस्तावेज का जारी किया जाना अनिवार्य नहीं किया गया है । यह नीति कर कानूनो में पहले से मौजुद वाणिज्यीक , लेन-देन व्यवहार और विनियामक आवश्यकताओ को लाभान्वित करने के लिए है । अत: एफएसएसएआई न्युनतम अनुपालन मूल्य बनाए रखना चाहता है और साथ ही उसके पास डाटा प्रसार और प्रकटीकरण भी है ।

10. उपरोक्त को देखते हुए खाद्य कारोबारियों को कैश रसीद /खरीद इनवॉयस/ कैश मेमो /बिल इत्यादि पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा । लाइसेंसिग और पंजीकरण प्राधिकरणों को यह निदेश दिया जाता है कि वे इस नीति का व्यापक रूप से प्रचार करें तथा **1 अक्तूबर ,2021** से इसका कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें ।

11. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(इनोशी शर्मा)

निदेशक (विनियामक अनुपालन)

Email: ed-office@fssai.gov.in

सेवा में,

1. सभी खाद्य कारोबारी , संघ, खाद्य सुरक्षा मित्र और अन्य हितधारक
2. सभी राज्यो संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त
3. सभी क्षेत्रिय कार्यालयो के निदेशक, एफएसएसएआई
4. सी.टी.ओ- एफएसएसएआई वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्रतिलिपि -

1. प्रधान निजी सचिव से अध्यक्ष , एफएसएसएआई - सूचनार्थ
2. निजी सचिव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सूचनार्थ
3. मुख्य (वि. अ.)